भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2773
दिनांक 17 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अभिघात केन्द्र

2773. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क): देश में दुर्घटनाओं में घायल हुए रोगियों के उपचार के लिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने अभिघात केन्द्र स्थापित किए गए हैं/स्थापित किए जाने का विचार है;
(ख): देश में विशेषकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में अभिघात केन्द्र स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार के पास कितने प्रस्ताव लंबित है;
(ग): ऐसे लंबित प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है और इनके कब तक स्वीकृत होने की संभावना है;
(घ): वर्तमान में दुर्घटनाओं में घायल हुए रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए औसतन कितनी दूरी पर अभिघात केन्द्र स्थापित किए गए है; और
(ड.): तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित देश में दुर्घटनाओं में घायल हुए मरीजों के इलाज के लिए हर साल कितनी निधि व्यय की जा रही है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) और 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान ''राष्ट्रीय ट्रॉमा और बर्न इंजरीज़ रोकथाम और प्रबंधन कार्यक्रम'' के तहत देशभर में औसतन 100 किमी. की दूरी पर 196 ट्रॉमा केयर केन्द्र (टीसीएफ) स्वीकृत किए गए थे। योजना के मानदंडों के अनुसार राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपरोक्त कार्यक्रम के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नए ट्रॉमा परिचर्या केन्द्रों की पहचान का कोई प्रावधान नहीं है। स्वीकृत टीसीएफ का विवरण अनुलग्नक-**I** पर है।

(ड.): ऐसा कोई डेटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

अनुलग्नक- I

"राष्ट्रीय ट्रॉमा और बर्न इंजरीज़ रोकथाम और प्रबंधन कार्यक्रम" के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वीकृत टीसीएफ का विवरण

क्र.सं.	राज्य	टीसीएफ
1	आंध्र प्रदेश	14
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
3	अरुणाचल प्रदेश	4
4	असम	7
5	बिहार	9
6	छत्तीसगढ	6
7	दादरा और नगर हवेली	1
8	झारखंड	4
9	जम्मू और कश्मीर	4
10	लद्दाख	1
11	गुजरात	15
12	गोवा	1
13	हरियाणा	3
14	हिमाचल प्रदेश	6
15	कर्नाटक	8
16	केरल	6
17	मध्य प्रदेश	5
18	महाराष्ट्र	6
19	मणिपुर	6
20	मेघालय	3
21	मिजोरम	7
22	नागालैंड	5
23	ओडिशा	6
24	पंजाब	5
25	राजस्थान	10
26	सिक्किम	4
27	तमिलनाडु	13
28	तेलंगाना	4
29	त्रिपुरा	5
30	उत्तर प्रदेश	13
31	उत्तराखंड	4
32	पश्चिम बंगाल	10

****